<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-74/2020/3975(1)/41-2019-22(बजट)/2019</u>

लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2020

<u>संख्या-59/2020/3975/41-2019-22(बजट)/2019 दिनांक फरवरी, 2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के ग्राम अनौराकला स्थित इमलीबाग बाबा मंदिर के सौन्दर्यीकरण कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या- संख्या-59/2020/3975/41/2019-22(बजट) /2019 में **<u>इमलीबान</u>** बाबा मंदिर के स्थान पर त्रुटिवश **इमलीबाग** बाबा मंदिर टंकित हो गया है एवं कार्यदायी संस्था के नाम में उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), लखनऊ के स्थान पर त्रुटिवश उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), लखनऊ टंकित हो गया है ।

2. अत: उक्त त्रुटियों का निराकरण करते हुये शासनादेश संख्या- संख्या-59/2020/3975/41/2019-22(बजट) /2019 में सभी स्थानों पर **इमलीबाग** बाबा मंदिर के स्थान पर **<u>इमलीबान</u>** बाबा मंदिर एवं उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), लखनऊ के स्थान पर उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), लखनऊ अंकित किया जाता है। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-74/2020/3975(1)/41-2019-22(बजट)/2019 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0(यूपीसिडको), लखनऊ ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in